1. **योजना का नाम** :– **लघु ऋण योजना(समुह ऋण योजना)**
2. **योजना का संक्षिप्त विवरण** :– अत्यन्त गरीब लोगो को बहुत कम राशि क ऋण की आवश्यकता होती है इसलिये वर्ष 1998–99 मे लघु ऋण योजना को लागु किया गया था। जिसमे स्वंय सहायता समुह (एस.एच.जी) को सीधे अथवा गैर सरकारी संगठनो के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाता है।
3. **प्रारम्भ होने का वर्ष** :– वर्ष 1998–99
4. **लाभान्वित वर्ग** :– अधिसूचित अल्पसंख्यको अर्थात मुसलमानो,ईसाइयो,सिक्खो,बौद्वो,पारसी तथा जैन वर्ग
5. **पात्रता** :– अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों जिनकी पारिवारीक वार्षिक आय(क्रेडिट लाईन–I) ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक 81000/– एवं शहरी क्षेत्र में 1,03,000/– से कम हो एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम,नई दिल्ली मे अपनी वर्तमान में अपनी योजनाओं के तहत एवं अतिरिक्त वार्षिक आय पात्रता स्लैब "क्रीमीलेयर मापदण्ड के आधार पारिवारिक (क्रेडिट लाईन–II) वार्षिक आय 6 लाख रू0 कर दी है। इसमें मौजूदा स्कीम के अन्तर्गत दिये जा रहे ऋण की तुलना में ऊची ब्याज दर पर रियासती ऋण मिलेगा लाभार्थियो की आयु व्यावसायिक ऋण हेतु 18 से 54 वर्ष से अधिक न हो। लाभार्थी द्वारा पूर्व मे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम अथवा अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास एवं वित्त निगम अथवा अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओ के अन्तर्गत ऋण नही लिया गया हो प्रार्थी पर किसी भी बैंक,सरकारी ,अर्दसरकारी,सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नही है।
6. **देय सुविधा** :– क्रेडिट लाईन–I में स्वंय सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के लिये 1.00 लाख तक एवं क्रेडिट लाईन–II में स्वंय सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के लिये 1.50 लाख रूपये तक 20 सदस्यो वाले एक एस.एच.जी के लिये 30 लाख रूपये तक ऋण दिया जाता है। क्रेडिट लाईन–I मे 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर एवं क्रेडिट लाईन–II में पुरूष लाभार्थियो के लिये 10 प्रतिशत वार्षिक एवं महिला लाभार्थियो के लिये 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर देय है।
7. **आवेदन का तरीका** :– अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यार्थी को ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा निःशुल्क जारी किया जायेगे। आवेदन–पत्र सीधे ही निगम की बेवसाइट से डाऊनलोड करके उसकी फोटो प्रति करवायी जा सकती है। आवेदन पत्र जमा कराने पर प्रार्थी से 20 रूपये प्रवेश शुल्क के रूप में जमा कराने होगे ऋण स्वीकृति पश्चात सदस्यता हेतु स्वीकृत ऋण राशि का 2 प्रतिशत निगम में जमा कराने होगे।

8. <u>**आवेदन कहा किया जाये**</u> :– जिस जिले का निवास है। उस जिले के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के कार्यालय मे आवेदन किया जायेगा।

9. <u>**आवेदन के साथ औपचारीकताऐ**</u> :–

1. प्रार्थना–पत्र निर्धारीत प्रारूप में।
2. आवेदक का फोटो राजपत्रित अधिकारी/बैंक अधिकारी/निकाय प्रतिनिधि,संस्था प्रधान से प्रमाणित

3- सह–आवेदक (माता –पिता /संरक्षक) का फोटो राजपत्रित अधिकारी/बैंक अधिकारी/निकाय प्रतिनिधि अथवा ऋणी का जमानतदार से प्रमाणित।

4- निम्न दस्तावेज संलग्न करेः–

1. अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण–पत्र जो निम्न द्वारा जारी मान्य होगा :–

<u>**(तहसीलदार/सरपंच/पार्षद/अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मगुरू के लेटरहेड पर अल्पसंख्यक प्रमाण –पत्र अथवा स्वयं का धर्म के सम्बन्ध मे नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र मान्य होगा अथवा स्व.घोषणा भी मान्य होगी।)**</u>

2. आय प्रमाण–पत्र जो निम्न निम्न द्वारा जारी मान्य होगाः–

(<u>प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी /तहसीलदार/नगर पार्षद अथवा सरपंच /स्वंय द्वारा आय की घोषणा का शपथ–पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि के स्टांप पर) अथवा स्व. प्रमाणन मान्य होगा।</u>

3. मूल निवास प्रमाण–पत्र – (<u>प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/उपतहसीलदार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि के स्टांप पर) (दो फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/जॉब कार्ड/वोटर आई.डी.कार्ड आदि सहित) जिससे प्रमाणित होता है कि प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी है।</u>

4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि के स्टाम्प पर प्रार्थी का शपथ–पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करे।

5. राज्य सरकार द्वारा निर्धारीत राशि के स्टाम्प पर 100,000 रूपये तक ऋण हेतु स्वंय की जमानत तथा रूपये 100,000 से 500,000/– तक एक जमानतदार तथा रूपये 500,000/– से अधिक के लिये दो जमानतदार या ऋण राशि के बराबर मूल्य की अचल सम्पति गिरवी रखने के दस्तावेज जमानतनामें निर्धारित प्रारूप में संलग्न करे अथवा ऋण वितरण से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

6. आधार कार्ड की प्रति

7. कैन्सिल्ड चैक एवं खाता प्रमाणीकरण प्रति

8. बकाया नही होने का प्रमाण पत्रः–

9. बी.पी.एल. के लिये बी.पी.एल. कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति।

10. प्रस्तावित परियोजना का विवरण मासिक एवं वार्षिक मय कोटेशन के साथ।

11. कार्य के प्रशिक्षण या अनुभव की प्रति।

12. कार्य स्थल स्वामित्व की प्रमाणित प्रति (स्वामित्व दस्तावेज/किराया नामा तथा व्यवसाय करने का मकान मालिक से सहमति–पत्र

13. स्वीकृत ऋण राशि के बराबर स्वंय का बीमा कराकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नाम असाइनमेन्ट करानी होगी।

14. प्रार्थी के पैन कार्ड की प्रति।

10. **सम्पर्क सूत्र** :–कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी